


17



R. 229. II / 97

152

माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू । मध्य प्रदेश । केंद्र ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक । ६७ निगरानी । राजस्व ।

प्राप्ति/अभिभाषक श्री शशि शर्मा
द्वारा प्रस्तुत दिनांक 6-8-97
अधक्षक
अ. युक्त क. माल्य
उज्जैन । सभाग

13-11
26-8-97
26-8-97

१- किशोरसिंह पिता पूजालाल जाति ब्राह्म
२- रामसिंह पिता पूजालाल जाति ब्राह्म -
निवासी गण ग्राम दौलतपुर मऊड़ी
बदनगर जिला उज्जैन --- प्रार्थीग स्वीका
विस्द करने

१- लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल देव अधी०
निवासी गाम दौलतपुरा मऊड़ी
बदनगर जिला उज्जैन गत रसते हवे

२- हरिनारायण पिता शिवत्व या हित
निवासी बदनगर के भूमिस्वामी हे

विषय - न्यायालय अतिरिक्त रेवेन्यू कमिश्नर सभाग उज्जैन
द्वारा प्रकरण क्रमांक १४६। १४-६५ अपील में प्रदत्त
निर्णय दि० ६-१-६७ के विस्द मु० रा० सं० की धा
के अर्न्तगत निगरानी का आवेदनपत्र

माननीय महोदय

प्रार्थीगण की ओर से निर्णय की प्रतिलिपि के दिन मुजरा
हवे अवधि में निम्नलिखित निगरानी का आवेदन प्रस्तुत है :-

१- यह कि अधी० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक ६-
विधि स्वम विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य
वास्तव में अधीनस्थ न्यायालयने निगरानीग्रस्त आदेश पारित
अपने विचाराधिकार का अवैध रूप से उपयोग किया है । फलतः
प्रार्थीगण न्यायदान से वंचित रहे है ।


२- यह कि पूर्व में प्रकरण माननीय न्यायालय बोर्ड आफ रे
माननी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 229-दो/1997

जिला - उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-8-2015	<p>आवेदक एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। कई बार सूचना जारी की गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 19997 से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	